छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
::- मंत्रालय -::

रायपुर, दिनांक ....

क्रमांक / F9-41/2010/42 ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड.), बैचलर इन एजुकेशन (बी.एड.) एवं मास्टर इन एजुकेशन (एम.एड.) पाठ्यक्रमों में सत्र 2010–11 में प्रवेश हेतु अंतरिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा तब तक लागू रहेगा जब तक की फीस समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता ।

2. समस्त संस्थाओं के लिये समिति द्वारा निर्धारित अंतरिम फीस (शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क) निम्नानुसार है । यह फीस छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्य के छात्रों के लिये एक समान लागू रहेगी ।

1. डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु	–	रु. 14,000/– प्रति वर्ष/प्रति छात्र
2. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु	–	रु. 24,000/– प्रति वर्ष/प्रति छात्र
3. एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु	–	रु. 45,000/– प्रति वर्ष/प्रति छात्र

इसके अतिरिक्त संस्थायें रु. 1000/– प्रति वर्ष/प्रति छात्र विकास शुल्क तथा रु. 1500/– प्रति छात्र एक मुश्त प्रवेश के समय कॉशन मनी के रूप में अवधान राशि ले सकती है, जो वापसी योग्य है ।

3. समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपीटेशन फीस कहलायेगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।
4. यह फीस सत्र 2010–11 में प्रवेशित छात्रों के लिये है एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये लागू रहेगी ।
5. सत्र 2010–11 में प्रवेशित छात्रों से यदि किसी संस्था ने निर्धारित फीस से अधिक फीस ले ली हो तो उसे छात्र को वापस किये जाएं ।
6. छात्रों द्वारा निर्धारित समय पर फीस नहीं जमा करने पर लेट फीस रू. 25/– प्रतिदिन (अधिकतम) लिया जा सकेगा ।
7. संस्था द्वारा ट्रांसपोर्ट शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क ''न लाभ न हानि'' (no profit no loss) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से लिया जाना है ।
8. विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क क्रमशः विश्वविद्यालय एवं संचालनालय/शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया वही लिया जाना है ।
9. यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एक्रीडिटेडेड है तो उस संस्था द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रु. 1000/– प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकेगा । यह शुल्क एक्रीडिटेडेड अवधि (जिस सत्र के लिये एक्रीडिटेशन है) के लिये ही लिया जा सकता है । यदि एक्रीडिटेशन की अवधि समाप्त हो चुकी है तो यह शुल्क देय नहीं होगा ।
10. निर्धारित की गई फीस अधिकतम है कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है ।
11. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है ।
12. अंतिम फीस का निर्धारण यदि अंतरिम फीस से अधिक होता है तो अंतर की राशि छात्र को संस्था में जमा करनी होगी, एवं यदि कम होता है तो अंतर की राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस देय होगा ।

टीप : यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी.) नं.–2112/2010 एवं 2388/2010 के अध्यधीन रहेगी एवं इन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेश/निर्देश के अनुसार आदेश में बदलाव किया जा सकेगा ।

अवर सचिव
छ.ग. शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.कमांक / F9-41/20042 रायपुर, दिनांक 19-11-2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
7. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद्, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
11. रजिस्ट्रार, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
12. रजिस्ट्रार, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
13. रजिस्ट्रार, मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
14. रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
15. रजिस्ट्रार, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
16. समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय .... को पालनार्थ ।
17. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर मीडिया में प्रकाशनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छ.ग. शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग